न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक), डीग जिला डीग(राज.)

प्र0 सं0 165/2022 (जी.सी.एम.एस. 2022/65)

पीठासीन अधिकारी:– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

आसीना पुत्र सलेम जाति मेव निवासी ग्राम जीवनबास तहसील डीग

–सायल

बनाम

1. हारून पुत्र सलेम जाति मेव निवासी ग्राम जीवनबास तहसील डीग
2. सनूम पत्नी हारून जाति मेव निवासी ग्राम जीवनबास तहसील डीग

–गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(बी) आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

निर्णय दिनांक:06.09.2024

प्रार्थी/सायल आसीना द्वारा रिसीवरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(बी) आर0टी0एक्ट, इस आश्य का पेश किया है कि हाल आराजी खसरा नंबर 395/0.22 व अन्य आराजीयात स्थित ग्राम खोह तहसील डीग की आराजी की बाबत् न्यायालय में विभाजन की बाबत् मूल दावा उनवानी आसीना बनाम हारून पेश किया है और न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2022 को मूल दावा के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, में रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त आराजी खसरा नंबर 395/0.22 ग्राम खोह में सडक से सटा हुआ है और गैरसायलान हारून ने सायल के हिस्से की आराजी में से बिना विभाजन कराये सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने के आश्य से स्थगन आदेश की सूचना प्राप्त होने के बाबजूद भी सडक के सहारे फ्रन्ट पर दीगर व्यक्तियों को बदयांतिपूर्वक सायल के हिस्से की आराजी को समाप्त करने के आश्य से दीगर व्यक्तियों को मौके पर सायल के 1/12 हिस्से पर कब्जा दे दिया है एवं गुर्जर व मेव जाति के व्यक्तियों मौके पर दुकानों का निर्माण बिना कनवर्जन कराये व्यवसायिक गतिविधियों संचालित करने के आश्य से धर्मवीर पुत्र रमलू, मुकेश पत्नि धर्मवीर, राजवीर पुत्र रमलू ने दुकानें मौके पर खरीदकर 4 दुकानें निर्मित कर ली है व 4 दुकानें अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित कर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ली हैं। मौके पर दोनो पक्षकारों में गंभीर विवाद बना हुआ है। मौके पर ईंट, पत्थर पडे हुये हैं व आठ दुकानें संचालित हो रही है। सायल ने उक्त कथनों के साथ–साथ मुफीद पुत्र शराबू जाति मेव निवासी जीवनकाबास व अलादीन पुत्र मिट्टू जाति मेव निवासी रूंधखोह, नसरू पुत्र पदानी जाति मेव निवासी गदडवास, अजीम खां पुत्र जुहरू खां जाति मेव निवासी गदडवास, साहिल पुत्र रेमल जाति मेव निवासी रूंधखोह, भुट्टा पुत्र करीमखां जाति मेव निवासी जीवनकाबास, मुहरदीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी रूंधखोह, मुदीन पुत्र टेनी जाति मेव निवासी रूंधखोह आदियों के शपथ पत्र के साथ अपना शपथ पत्र पेश किया है और उक्त सभी शपथ पत्र पेशकर्ताओं ने विवादित खसरा नंबर 395 को इन मीडियो होना बताया तथा उक्त आराजी में गंभीर विवाद होने के अनुदेशा बताया है। सायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर को भेजा गया था। जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में पेश की है तथा प्रार्थी आसीना द्वारा एक परिवाद पत्र 107, 116 का गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया है और सायल द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 395/0.22 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग की आराजी पर गंभीर विवाद बताते हुये न्यायालय से उक्त दुकानों सहित खसरा नंबर 395/0.22 पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक से कराये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 15.05.2024 को अप्रार्थीगण बाबजूद तामील/सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। गैरसायलान संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 15.05.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। अधिवक्ता सायल की दिनांक 28.08.2024 को एकपक्षीय बहस सुनी गई अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दुहराते हुये यह कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 395/0.22 स्थित ग्राम जीवनकाबास तहसील डीग की आराजी में सायल 1/12 हिस्से का तथा गैरसायल संख्या 1 हारून 1/12 हिस्से का तथा गैरसायल संख्या 2 सनूम 5/6 हिस्से की सहखातेदार काश्तकार हैं और सायल ने अपना मूल दावा विभाजन की बाबत् पेश किया है। न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमें में रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.05.2022 को जारी की गई है और गैरसायलान द्वारा जबरन सायल के 1/12 हिस्से की आराजी के फ्रन्ट को हडपने के लिये 8 दुकानों का बिना किसी अधिकार के हस्तान्तरण कर दिया है। मौके पर 8 दुकानें बनी हुयी हैं जोकि बिना कनर्वजन कराये भूमि की किस्म को बदलने के आश्य से निर्मित की हैं। जिनमें व्यवासायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। खसरा नंबर 395/0.22 सायल व गैरसायलान के नाम है जिन्हें

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार मुकदमा बनाया है। विवादित खसरा नंबर 395 है, जिसके फोटोग्राफ व काफी व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये हैं। अधिवक्ता सायल के तथ्यों एवं पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सायल द्वारा उक्त मुकदमें में दावा व उनवानी आसीना बनाम हारून की फोटोप्रति व स्थगन आदेश की फोटोप्रति पेश की है तथा अलादीन पुत्र मिट्टू, रूजदार पुत्र फतेहखां, नसरू पुत्र पदानी, अजीमखां पुत्र जुहरू खां, साहिल पुत्र रेमल, भुट्टा पुत्र करीमखां, मुदीन पुत्र टेनी के शपथपत्र पेश किये गये हैं व विवादित खसरा नंबर 395/0.22 का फोटो पेश किया है। जिसमें दुकानें बनी हुई होना एवं ईंट, पत्थर व अन्य निर्माण सामग्री पडी हुये होना स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है। उक्त खसरा नंबर सायल एंव गैरसायलान की सहखातेदारी का है और प्रत्येक इंच पर सायल एवं गैरसायलान का कब्जा है और बिना विभाजन कराये गैरसायलान को उक्त आराजी में से भूखण्डों के रूप में दीगर व्यक्तियों को भूमि हस्तान्तरण करने का एवं बिना कनवर्जन कराये व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने का वैधानिक अधिकार नही है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि सायल एवं गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य हैं और दोनो पक्षकारों में सडक के सहारे की वेस कीमती भूमि का विवाद है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 395/0.22 की आराजी इनमीडियो की तारीफों में आती है। अगर न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(बी) एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 व 40 के प्रावधानों की रोशनी में अगर खसरा नंबर 395/0.22 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग की आराजी पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि विधि विरूद्ध हस्तान्तरण एवं विधि विरूद्ध निर्माण कार्यों से सुरक्षित नहीं रह पायेगी। न्यायालय का भी यह कर्तव्य है कि पक्षकारों को मूल दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी की सुरक्षार्थ आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जावे। जिससे विवादित आराजी एवं पक्षकार सुरक्षित रह सकें। ऐसी स्थिति में हाल आराजी खसरा नंबर 395/0.22 स्थित ग्राम खोह एवं उससे संलग्न 8 किता दुकानों पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (बी) आर0 टी0 एक्ट, स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(बी) आर.टी.एक्ट, प्रस्तुत साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नंबर 395/0.22 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग की आराजी तथा उक्त आराजी में निर्मित दुकानात पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की नियमानुसार व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को पालनार्थ भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी ★ डीग जिला-डीग (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner